प्रेषक

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

एस0पी0एम0यू0 / एन0यू0एच0एम0
नम्बर 20,833 दिनांक 24-3-15

प्राप्त 24.3.15 (888)

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0 / एन0यू0एच0एम0 / पी0आई0पी0 / 2014–15 / दिशा–निर्देश / 2014 / दिनांक: 20 ~~दिसम्बर~~ मार्च 2015

विषयः **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2014–15 की आरओपी में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 478 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोग हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि महाप्रबन्धक, एनयूएचएम, एसपीएमयू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्याः एसपीएमयू / एनयूएचएम / पीआईपी / 2014–15 / 03 / 5994 दिनांकः 17.03.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपदो को 478 नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में संचालित किये जाने हेतु दिनांकः 02.01.2015 को रु0 46 करोड एंव दिनांकः 14.03.2015 को रु0 64.175 करोड कुल धनराशि रु0 110.175 करोड (रु0 एक सौ दस करोड सत्रह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त कर दी गयी है। अवमुक्त की गयी गयी धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश निर्गत कराते हुए सघन मानटरिंग कराये जाने की अपेक्षा गयी है।

कार्यालय के पत्र संख्याः प0क0 / एनयूएचएम / पीआईपी / 2014–15 / दिशा–निर्देश / 2014 / 7039–75 दिनांकः 05.01.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ संलग्न 478 नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों की सूची सहित (स्टेट बजट से संचालित–147 नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों, एनयूएचएम के अन्तर्गत संचालित–231 अरबन हेल्थ पोस्ट एंव वर्ष 2013–14 की आरओपी में स्वीकृत 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) दिशा–निर्देश तैयार करते हुए आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया गया था कि दिशा–निर्देश में वर्णित विवरण के अनुसार जनपदों में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना शीध्र सुनिश्चित कराये तथा उसकी अद्यतन स्थिति से कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे। परन्तु खेद के साथ कहना है कि अभी तक आपके स्तर से उक्त प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अबतक की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत नही कराया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 के अनुसार स्वीकृत गतिविधियों हेतु अनुमोदित धनराशि के उपयोग हेतु कुल 478 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु भेजी गयी दिशा–निर्देश में वर्णित विवरण के अनुसार जनपद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना शीध्र सुनिश्चित कराये तथा दिशा–निर्देश में वर्णित विवरण के अनुसार ही शासकीय / वित्तीय नियमो का पालन करते हुए नियमानुसार धनराशि का व्यय करे, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आप द्वारा अबतक की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से पत्र प्राप्त के तीन दिवस के अन्दर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित कराये, अन्यथा की स्थिति में प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जायेगा।

भवदीया

(मीनू सागर)
निदेशक, प0क0

7432–98

पत्रांकः प0क0 / एन0यू0एच0एम0 / पी0आई0पी0 / 2014–15 / दिशा–निर्देश / 2014 / तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक, एनयूएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 को उनके पत्र दिनांकः 17.03.2015 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि का जनपदवार विवरण आज ही उपलब्ध कराये ताकि जनपदो में सघन मानटरिंग कराया जा सके।

20.3.15

संयुक्त निदेशक–नगरीय
परिवार कल्याण

प्राप्त 16.01.15

ए0एस0पी0एम0यू0 एन0यू0एच0एम0 17821 दिनांक 15-1-15

(408)

प्रेषक

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0 / एन0यू0एच0एम0 / पी0आई0पी0 / 2014–15 / दिशा–निर्देश / 2014 / दिनांक: ~~दिसम्बर 2014~~ 05.01.15

विषयः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की आरओपी में स्वीकृत गतिविधियों हेतु अनुमोदित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार प्रदेश में 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व से अरबन आर0सी0एच0 के अन्तर्गत संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 115 (अरबन हेल्थ पोस्ट) का नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण तथा 59 सरकारी भवनों में संचालित अरबन हेल्थ पोस्ट के रिनोवेशन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी. इन गतिविधियों के संचालन हेतु परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं एसपीएमयू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन, भवन किराये, औषधि एवं कन्जुमेबिल्स तथा फर्नीचर एवं उपकरण हेतु पूर्व में आपको दिशा–निर्देश भेज दिये गये हैं तथा एसपीएमयू स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 में उपरोक्त वर्णित नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों को सम्मिलित करते हुए 478 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्टेट बजट से संचालित– 147 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयाँ, एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट तथा वर्ष 2013–14 में स्वीकृत 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) की विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है। (विवरण दिशा–निर्देश के साथ संलग्न)।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 के अनुसार स्वीकृत गतिविधियों हेतु अनुमोदित धनराशि के उपयोग हेतु कुल 478 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश तैयार कर आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि दिशा–निर्देश में वर्णित विवरण के अनुसार जनपद में शीघ्र नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना सुनिश्चित कराते हुए उसकी अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये तथा विभिन्न गतिविधियों के अनुसार ही जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियमानुसार व्यय किया जाये। एसपीएमयू स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि अवमुक्त की जा रही है। किसी अन्य मद से धनराशि का व्यय न किया जाये, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(विजय लक्ष्मी)
महानिदेशक

पत्रांक: प0क0 / एन0यू0एच0एम0 / पी0आई0पी0 / 2014–15 / दिशा–निर्देश / 2014 / 7114–97 तद्दिनांक:

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ को उक्त दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।

GM(UH)

05/01/15

संयुक्त निदेशक–नगरीय
परिवार कल्याण

15/01/15

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु दिशा–निर्देश

प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार 4.44 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते है। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया है, जिसमें कुल 131 शहर/कस्बें चिन्हित किये गये है, जिसमें लगभग 3.14 करोड़ जनताको स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जायेगा।

प्रत्येक 50000 की शहरी जनसंख्या पर 01 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, जिनमें मानकानुसार नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे है तथा पुराने नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में परिवर्तित किया जा रहा है।

प्रदेश में नगरीय स्वास्थ्य इकाइयॉ सरकारी भवनों में संचालित है, उनका रिनोवेशन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जा रहा है, कुछ ऐसी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयॉ जो कि सरकारी, ट्रष्ट या किराये के भवनों में संचालित है जिनमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है, ऐसी इकाइयों को भी अन्य भवनों में स्थानांतरित कर (सरकारी या किराये) संचालित किया जाना है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु किराये के भवनों के चिन्हीकरण के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:

1. भवन चिन्हित करते समय यह ध्यान दिया जाय कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा लगभग 50,000 की शहरी जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित की जा सके। यह केन्द्र मलिन बस्तियों में या उनके करीब हो जिससे आस–पास में रहने वाली गरीब जनता को उसके घर के समीप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सके।
2. भवनों में ओ0पी0डी0, टीकाकरण एवं काउन्सिलिंग, इण्डोर वार्ड (1–2 बेड), औषधि स्टोर/वितरण कक्ष, पैथोलॉजी जॉच कक्ष, कार्यालय कक्ष, प्रसव कक्ष, नर्सेस/ए0एन0एम0, ड्यूटी कक्ष, माइनर ओ0टी0, रोगी प्रतीक्ष कक्ष तथा स्टाफ एवं रोगियों के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था हों।
3. भवन में विद्युत कनेक्शन हो तथा बिजली एवं पानी की नियमित आपूर्ति हो। मरीजों हेतु एम्बूलेन्स आदि वाहनों का आने–जाने का पर्याप्त रास्ता हो।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें:–

- प्राथमिक चिकित्सा उपचार ओ0पी0डी0 सेवायें
- गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जॉच, टीकारण, आयरन एवं अन्य पोषण सेवायें।
- नवजात शिशुओं/शिशु/बच्चों की बीमारियों के प्राथमिक उपचार एवं सन्दर्भन, नियमित टीकाकरण एवं पोषण सेवायें।
- प्रसवोत्तर देखभाल।
- परिवार कल्याण सेवाओं हेतु काउन्सिलिंग एवं सेवायें तथा स्थाई विधियों हेतु सन्दर्भन।
- आपातकालीन स्थिति में सामान्य प्रसव सेवायें उपलब्ध हों।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पूर्ण क्रियाशील होने के पश्चात चरणबद्व ढंग से सामान्य प्रसव की सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।
- संचारी एवं गैर संचारी रोगो के बचाव, जानकारी एवं इलाज।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संविदा मानव संसाधनः–

- 01 फुल टाइम एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक
- 01 पार्ट टाइम एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक

(Ramvijay Singh)

- 02 स्टाफनर्स
- 01 फार्मासिस्ट
- 01 लैब टैक्नीशियन
- 03 सपोर्ट स्टाफ (01 आया, 01 वार्ड ब्वाय तथा 01 स्वीपर कम चौकीदार)
- प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर 01 ए0एन0एम0

प्रत्येक ए0एन0एम0 का मुख्यालय नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 4–5 ए0एन0एम0 कार्य करेंगी।

आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचरः– IPHS मानक के अनुसार आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए उपकरण एवं फर्नीचर का क्रय किया जाय।

आवश्यक औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल :– नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पी0एच0सी0 की Essential Drug List (EDL) के अनुसार औषधियों का क्रय किया जाय।

प्रचार–प्रसार गतिविधियॉः– नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर 6×4 फिट साइज का बोर्ड लगाया जाय, जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम बड़े–बड़े अक्षरों पर प्रदर्शित किया जाय तथा आवश्यक फोन नं0, टोलफ्री नम्बर दर्शाया जाय। केन्द्र पर तैनात कर्मियों जैसेः संविदा चिकित्सक, स्टाफनर्स, ए0एन0एम0, फार्मासिस्ट, लैबटैक्नीशियन तथा सपोर्ट स्टाफ के नाम व फोन नम्बर बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाये। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की लोकेशन यदि मेन रोड से हटकर हो तो मेन रोड पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की लोकेशन को एक संकेतक बोर्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाय, जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम, लोकेशन तथा पूरा पता अंकित किया जाये, जिससे कि मरीज आसानी से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंच सके।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवायें, जॉच आदि को स्वास्थ्य केन्द्र की दीवार पर बोर्ड या वॉल राइटिंग के माध्यम से अंकित किया जाय। केन्द्र पर उपलब्ध औषधि की सूची को साफ अक्षरों में बोर्ड या वॉल राइटिंग द्वारा अंकित किया जाय।

(Ranvijay Singh) Prog. Asstt. (D.K. Srivastava) ARO (Dr. A.K. Srivastava) JD-Urban

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

विषयः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत गतिविधियों हेतु अनुमोदित धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार प्रदेश में 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व से अरबन आर0सी0एच0 के अन्तर्गत संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 115 (अरबन हेल्थ पोस्ट) का नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण तथा 59 सरकारी भवनों में संचालित अरबन हेल्थ पोस्ट के रिनोवेशन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इन गतिविधियों के संचालन हेतु 03 माह के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस.पी. एम.यू./एन.यू.एच.एम./ 2014–15/03/2815–75 दिनांक 20.09.2014 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 के अनुसार उपरोक्त वर्णित नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों को सम्मिलित करते हुए 478 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों (स्टेट बजट से संचालित–147 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयॉ, एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट तथा वर्ष 2013–14 में स्वीकृत 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) की विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि अनुमोदित है। (संलग्नक–1) जिसका विवरण निम्नवत् हैः

1. **स्टेट बजट से संचालित 147 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयॉः–**

स्टेट बजट से संचालित 147 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 134 अरबन हेल्थ पोस्ट तथा 13 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र (लखनऊ–8 एवं कानपुर–5 अरबन फैमिली वेलफेयर सेन्टर) सम्मिलित है। इन सभी सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना है इनके संचालन हेतु निम्न गतिविधियों हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी हैः

FMR Code No. 4.3.1- Renovation/Up gradation of the existing facility to U-PHC:

FMR Code No. 4.3.1 (a)

जनपदों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इन 147 सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में से कुछ इकाइयॉ सरकारी भवनों (स्वास्थ्य विभाग, नगरी विकास, डूडा, श्रम विभाग या अन्य स्वामित्व वाले विभाग) में संचालित है। सरकारी भवनों में संचालित इकाइयों का रिनोवेशन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना है, इन इकाइयों के रिनोवेशन हेतु रू0 10.00 लाख प्रति स्वास्थ्य इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। यह धनराशि जनपदों से प्राप्त व्यय के आंकलन तथा प0क0 महानिदेशालय से परीक्षण उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर अवमुक्त की जायेगी।

FMR Code No. 4.3.1 (b)- Equipments & Furniture:

स्टेट बजट से संचालित नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय हेतु रू0 3.00 लाख प्रति नगरीय स्वास्थ्य इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय हेतु प्रथक से दिशा–निर्देश संलग्न है।

FMR Code No. 4.3.3- Operating cost support for running U-PHC:

FMR Code No. 4.3.3.1-Human Resource:

इन स्वास्थ्य इकाइयों में नियमित सेवा से 01 एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकरी एवं अन्य सपोर्ट स्टाफ के पद स्वीकृत है। इन पदों को समायोजित करते हुए आर0ओ0पी0 में अतिरिक्त मानव संसाधन के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गयी हैः

FMR Code No. 4.3.3.1.1-MO Salary:

(f) पार्ट टाइम संविदा चिकित्सकः– इन नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रत्येक इकाई हेतु 01 पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इनके मानदेय हेतु रू0 21600/– प्रति माह

प्रति पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक की दर से 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक के चयन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न है।

FMR Code No. 4.3.3.1.2- Salary of Paramedical & Nursing Staff:

(e) फार्मासिस्ट: इन नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रत्येक इकाई पर संविदा पर 01 फार्मासिस्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इनके मानदेय हेतु रू0 16500/– प्रति माह प्रति फार्मासिस्ट की दर से कुल 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। फार्मासिस्ट के चयन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न है।

(g) लैब टैक्नीशियन: इन नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर प्रत्येक इकाई पर संविदा पर 01 लैब टैक्नीशियन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इनके मानदेय हेतु रू0 11800/– प्रति माह प्रति लैब टैक्नीशियन की दर से कुल 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। लैब टैक्नीशियन के चयन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न है।

FMR Code No. 4.3.3.1.3- Salary of Support Staff:

इन नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रत्येक इकाई पर 03 सपोर्ट स्टाफ (01 वार्ड ब्वाय, 01 वार्ड आया तथा 01 स्वीपर कम चौकीदार) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इनके मानदेय हेतु रू0 14000/– प्रति माह प्रति इकाई की दर से कुल 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न है।

FMR Code No. 4.3.3.2- Office expenses:

इन नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों के ऑपरेशनल व्यय (बिजली, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप तथा रजिस्टर इत्यादि) हेतु रू0 7000/– प्रति माह प्रति इकाई की दर से 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन इकाइयों में विद्युत कनेक्शन, टेलीफोन की सुविधा सुनिश्चित कर लें तथा प्रिन्टिंग सामग्री जैसे: ओ0पी0डी0 स्लिप, रेफरल स्लिम, रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक स्टेशनरी प्रिन्ट करा लें। समस्त प्रिन्टिंग सामग्री के बिल बाउचर सुरक्षित रखे, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉचों के समय प्रस्तुत किया जा सके।

उपरोक्त 147 इकाइयों के ऑपरेशन व्यय हेतु धनराशि धनराशि स्वीकृत की गयी है। अतः इन इकाइयों हेतु स्टेट बजट या अन्य बजट से इस मद में धनराशि व्यय न की जाय।

FMR Code No. 4.3.3.3- Others (Hiring of Premises):

जनपदों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्टेट बजट से संचालित कुछ इकाइयॉ सरकारी भवनों, ट्रस्ट एवं किराये के भवनों में संचालित है जिनमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित किये जाने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है। इन इकाइयों हेतु किराये के भवनों में संचालित किये जाने हेतु रू0 15000/– प्रति माह प्रति इकाई की दर से 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है इन इकाइयों को स्लम में या उसके पास किराये के भवनों में पुर्नस्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हीकरण कर लें। किराये के भवनों के चिन्हीकरण के समय विशेष ध्यान दिया जाय कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं हेतु पर्याप्त स्थान हो। उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में महानिदेशक, प0क0 तथा एस0पी0एम0यू0 के स्तर से निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

किराये के भवनों के चिन्हीकरण की सूचना परिवार कल्याण महानिदेशालय में प्रेषित करने उपरान्त ही इस मद में धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इकाई को किराये के भवनों में संचालित कर अनुबन्ध पत्र की एक प्रति प0क0 महानिदेशालय को प्रेषित करें।

FMR Code No. 4.3.4- Untied Grants to U-PHC:

इन नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में से सरकारी भवनों में संचालित स्वास्थ्य इकाइयों हेतु Untied Grants रू0 1.75 लाख प्रति नगरीय स्वास्थ्य इकाई प्रति वर्ष तथा किराये के भवनों में संचालित नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति नगरीय स्वास्थ्य इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन इकाइयों के क्रियाशील हो जाने के पश्चात धनराशि तथा दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

FMR Code No. 4.3.5- Medicines & Consumables for U-PHC:

इन नगरीय नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों में Medicine & Consumables के क्रय हेतु 06 माह के लिए रू0 6.25 लाख प्रति नगरीय स्वास्थ्य इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। Medicine & Consumables के क्रय हेतु पृथक से दिशा–निर्देश संलग्न है।

2. एन.आर.एच.एम. पोषित अरबन आर0सी0एच0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्टः–

वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 115 इकाइयों में अतिरिक्त मानव संसाधन की स्वीकृति प्रदान कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किया गया है। वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 में शेष 116 अरबन हेल्थ पोस्ट को उच्चीकृत कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में 231 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होंगे। इन 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 13 अरबन हेल्थ पोस्ट सरकारी भवनों में संचालित है तथा 218 अरबन हेल्थ पोस्ट किराये के भवनों में संचालित है। इन स्वास्थ्य इकाइयों के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में संचालित किये जाने हेतु निम्न गतिविधियां स्वीकृत की गयी हैः

FMR Code No. 4.3.1- Renovation/Up gradation of the existing facility to U-PHC:

FMR Code No. 4.3.1 (a)- For Government owned Building:

सरकारी भवनों में संचालित अरबन हेल्थ पोस्ट के रिनोवेशन हेतु रू0 10.00 लाख प्रति इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। यह धनराशि जनपदों से प्राप्त व्यय का आंकलन तथा प0क0 महानिदेशालय से परीक्षण उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर अवमुक्त की जायेगी।

FMR Code No. 4.3.1 (b)- For Equipments & Furniture:

इन अरबन हेल्थ पोस्ट में उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय हेतु रू0 3.00 लाख प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय हेतु पृथक से दिशा–निर्देश संलग्न है।

FMR Code No. 4.3.3- Operating cost support for running U-PHC:

FMR Code No. 4.3.3.1- Human Resource:

इन अरबन हेल्थ पोस्ट पर 01 एम.बी.बी.एस. संविदा चिकित्सक, 01 स्टॉफनर्स, 01 ए0एन0एम0 तथा 01 स्वीपर कम चौकीदार के पद स्वीकृत है।

Code No. 4.3.3.1.1- Medical Officer Salary:

फुल टाइम संविदा चिकित्सकः– इन अरबन हेल्थ पोस्ट में पूर्व से कार्यरत 01 एम.बी.बी.एस. संविदा चिकित्सक के मानदेय हेतु रू0 39600/– प्रति माह प्रति संविदा चिकित्सक की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिन इकाइयों में यह पद रिक्त है उन इकाइयों में तत्काल नियमानुसार संविदा पर फुल टाइम संविदा चिकित्सक की तैनाती कर लें। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

पार्ट टाइम चिकित्सकः इन अरबन हेल्थ पोस्ट में प्रत्येक इकाई पर 01 पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक की तैनाती की जानी है, जिनके मानदेय हेतु रू0 21600/– प्रति माह प्रति पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक की दर से 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन पार्ट टाइम संविदा चिकित्सकों के चयन, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न है।

FMR Code No. 4.3.3.1.2- Salary of Paramedical and Nursing staff: इन अरबन हेल्थ पोस्ट पर पूर्व से 01 स्टाफनर्स संविदा पर स्वीकृत है तथा वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 में 231 इकाइयों में से 115 इकाइयों पर 01 अतिरिक्त स्टाफ नर्स की संविदा पर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(a) Staff Nurses shifted from Urban RCH: इन अरबन हेल्थ पोस्ट पर पूर्व से तैनात स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु रू0 18150/– प्रति माह, प्रति स्टाफनर्स की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

(b) Staff Nurse approved in FY 2013-14: वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 115 अरबन हेल्थ पोस्ट पर अतिरिक्त मानव संसाधन के रूप में 01 स्टाफनर्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनके मानदेय पूर्व में 03 माह के लिए धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है। पुनः इन स्टाफनर्स के मानदेय हेतु रू0 16500/– प्रति माह कुल 06 माह के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

(d) Pharmacists approved in FY 2013-14: वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार इन 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 115 अरबन हेल्थ पोस्ट में 01 फार्मासिस्ट प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा इनके मानदेय हेतु 03 माह के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

(e) Additional Pharmacists approved in FY 2014-15: वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 के अनुसार अन्य 116 अरबन हेल्थ पोस्ट में संविदा पर 01 फार्मासिस्ट प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः कुल 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में 01 फार्मासिस्ट प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु रू0 16500/– प्रति माह प्रति फार्मासिस्ट की दर से कुल 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

(f) Lab Technician approved in FY 2013-14: वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार इन 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 115 अरबन हेल्थ पोस्ट में 01 लैब टैक्नीशियन प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा इनके मानदेय हेतु 03 माह के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

(e) Additional Lab Technician approved in FY 2014-15: वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 के अनुसार अन्य 116 अरबन हेल्थ पोस्ट में संविदा पर 01 लैब टैक्नीशियन प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः कुल 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में 01 लैब टैक्नीशियन प्रति अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु रू0 11800/– प्रति माह प्रति लैब टैक्नीशियन की दर से कुल 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

FMR Code No. 4.3.3.1.3- Salary of Support Staff:

(a) Sweeper cum Chowkidar Shifted for Urban RCH: इन 231 अरबन हेल्थ पोस्ट पर संविदा पर तैनात स्वीपर कम चौकीदार हेतु रू0 5445/– प्रति माह प्रति स्वीपर कम चौकीदार की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

FMR Code No. 4.3.3.2- Office Expenses: इन 231 अरबन हेल्थ पोस्ट के ऑपरेशनल व्यय (बिजली एवं टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, ओ0पी0डी0 स्लिप तथा रजिस्टर इत्यादि) हेतु रू0 7000/– प्रति माह प्रति इकाई की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। पूर्व में यह धनराशि रू0 3000/– प्रति माह प्रति इकाई स्वीकृत थी जिसका उपयोग अधिकतम सीमा रू0 3000/– प्रति माह की दर से ही किया जाये तथा इन अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित कर संचालित करने की सूचना प0क0 महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के पश्चात् ही धनराशि का उपयोग अधिकतम सीमा रू0 7000/– प्रति माह की दर से व्यय किया जाये।

FMR Code No. 4.3.3.3- Others (Hiring of Premises): इन 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में से 218 अरबन हेल्थ पोस्ट किराये के भवनों में संचालित है, जिनका पूर्व में किराया रू0 7000/– प्रति इकाई स्वीकृत था। अतः इन भवनों का किराया रू0 7000/– प्रति माह की अधिकतम सीमा तक व्यय किया जाय। इन अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना है जिसके लिए भारत सरकार के स्तर से आर0ओ0पी0 में भवनों के किराये हेतु रू0 15000/– प्रति माह प्रति इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। अरबन हेल्थ पोस्ट को पूर्व निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना है जिसके क्रम में समस्त सेवायें उपलब्ध कराने हेतु किराये के भवनों का चिन्हीकरण इस प्रकार करें कि भवन उसी स्लम में या उसके नजदीक हो जिससे कि जनता सेवाओं से

आच्छादित हो सके। जिला सर्किल रेट के आधार पर भवनों का अनुबन्ध करने के उपरान्त ही अनुबन्ध के आधार पर अधिकतम सीमा रू0 15000/— तक प्रति माह प्रति इकाई की दर से किया जाय। किराये के भवन की अनुबन्ध पत्र की प्रति प0क0 महानिदेशालय की अरबन हेल्थ अनुभाग में उपलब्ध करायें।

FMR Code No. 4.3.4- Untied Grants: इन 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में 218 अरबन हेल्थ पोस्ट किराये के भवनों में संचालित है इन किराये के भवनों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रू0 1.00 लाख प्रति स्वास्थ्य इकाई की दर से अनटाइड ग्रान्ट स्वीकृत की गयी है, इन इकाइयों के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रियाशील किये जाने के पश्चात ही इस धनराशि का उपयोग किया जाये। इनके व्यय हेतु शीघ्र ही दिशा—निर्देश निर्गत किये जा रहे है।

FMR Code No. 4.3.5- Medical & Consumables: इन 231 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में 06 माह के लिए Medical & Consumables के क्रय हेतु रू0 6.25 लाख प्रति स्वास्थ्य इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। Medicine & Consumables के क्रय हेतु पृथक से दिशा—निर्देश संलग्न है।

3. <u>वर्ष 2013—14 में स्वीकृत 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु:</u>

FMR Code No. 4.3.1- Renovation/ up gradation: वर्ष 2013—14 की आर0ओ0पी0 में इस मद के अन्तर्गत Equipments & furniture के क्रय हेतु रु0 3.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा व्यय हेतु दिशा—निर्देश भी निर्गत किये जा चुके हैं।

FMR Code No. 4.3.3 operating cost support for running UPHC:

FMR Code No. 4.3.3.1- Human Resource:

FMR Code No. 4.3.3.1.1- Medical Officer Salary:

(b) फुल टाइम संविदा चिकित्सकः— इन नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 फुल टाइम एम.बी.बी.एस. संविदा चिकित्सक की प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र की तैनाती हेतु दिशा—निर्देश निर्गत किये जा चुके है एवं इनके 3 माह के मानदेय हेतु धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है। पुनः इन संविदा चिकित्सकों के मानदेय हेतु रु0 36,000/— प्रति माह प्रति फुल टाइम संविदा चिकित्सक की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा—निर्देश संलग्न हैं।

(e) पार्ट टाइम संविदा चिकित्सकः प्रत्येक नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 पार्ट टाइम एम.बी.बी.एस संविदा चिकित्सक की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा इनके मानदेय हेतु रु0 21600/— प्रति माह प्रति पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा—निर्देश संलग्न हैं। पुनः इनके मानदेय रु0 21600/— प्रति माह प्रति पार्ट टाइम संविदा चिकित्सक की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

FMR Code No. 4.3.3.1.2- Salary of Paramedical & Nursing staff:

(b) स्टाफ नर्सः वर्ष 2013—14 की आर.ओ.पी. के अनुसार इन नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 2 स्टाफ नर्स प्रति नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा इनके 03 माह के मानदेय हेतु धनराशि एवं दिशा—निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं पुनः इन स्टाफ नर्स हेतु रु0 16,500/— प्रति माह प्रति स्टाफ नर्स की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा—निर्देश संलग्न हैं।

(e) फार्मासिस्टः वर्ष 2013—14 की आर.ओ.पी. के अनुसार इन नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 01 फार्मासिस्ट प्रति नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इनके मानदेय हेतु 3 माह हेतु धनराशि तथा दिशा—निर्देश निर्गत किये जा चुके है पुनः इन फार्मासिस्ट हेतु रु0 16,500/— प्रति माह प्रति फार्मासिस्ट की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा—निर्देश संलग्न हैं।

(f) लैब टेक्नीशियनः वर्ष 2013—14 की आर.ओ.पी. के अनुसार इन नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 01 लैब टेक्नीशियन प्रति नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इनके मानदेय

हेतु 3 माह हेतु धनराशि तथा दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं पुनः इन लैब टेक्नीशियन हेतु रु0 11800/– प्रति माह प्रति लैब टेक्नीशियन की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

FMR Code No. 4.3.3.1.3- Salary of support staff: वर्ष 2013–14 की आर.ओ.पी. के अनुसार इन नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सपोर्ट स्टाफ हेतु रु0 14,000/– प्रति माह प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इनके मानदेय हेतु 3 माह हेतु धनराशि तथा दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके है। पुनः इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रु0 14000/– प्रति माह प्रति नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 03 सपोर्ट स्टाफ (01 वार्ड ब्वाय, 01 वार्ड आया तथा 01 स्वीपर कम चौकीदार) की दर से 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

FMR Code No. 4.3.3.2- Office expenses: वर्ष 2013–14 की आर.ओ.पी. के अनुसार इन नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रु0 7000/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से कुल 03 माह हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। पुनः इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के Operational expenses हेतु रु0 7000/– प्रति माह की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि का उपयोग बिजली टेलीफोन बिल, ओ0पी0डी0 स्लिप रजिस्टर एवं अन्य स्टेशनरी में किया जाये।

FMR Code No. 4.3.3.2- Hiring of Premises: वर्ष 2013–14 की आर.ओ.पी. के अनुसार इन नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में संचालन हेतु रु0 15,000/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक केन्द्र की दर से कुल 3 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। शेष माह हेतु धनराशि एवं दिशा–निर्देश शीघ्र ही निर्गत किये जायेगे।

FMR Code No. 4.3.3.2- Untied Grant: इस मद में शीघ्र ही धनराशि एवं दिशा निर्देश निर्गत किये जायेगें।

FMR Code No. 4.3.3.2- Medicine & Consumables: वर्ष 2013–14 की आर.ओ.पी. के अनुसार इन नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रु0 3.125 लाख प्रति इकाई हेतु कुल 3 माह के लिए Medicine & Consumables के क्रय हेतु धनराशि तथा दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके है पुनः इन नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 06 माह के लिए रू0 6.25 लाख प्रति नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

FMR Code No. 4.2- ए0एन0एम0/एल0एच0वी0:– एन0आर0एच0एम0 के अरबन आर0सी0एच0 कार्यक्रम में पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट में 01 एन0एन0एम0 संविदा पर तैनात है तथा राज्य बजट से संचालित 147 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर नियमित सेवा से 01 एन0एन0एम0 का पद स्वीकृत है, इन सब पदों को समायोजित करते हुए वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत 2254 संविदा ए0एन0एम0 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ए0एन0एम0 का मुख्यालय नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 4–5 एन0एन0एम0 तैनात की जानी हैं। 10,000 की शहरी जनसंख्या पर 01 ए0एन0एम0 की कार्ययोजना तैयार की जाये जिसमें वह शहरी मलिन बस्तियों में जाकर 04 शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस प्रति माह आयोजित कर मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं, टीकाकरण एवं परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान कर सकें। शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के संचालन हेतु दिशा–निर्देश पृथक रूप से निर्गत किये जा रहे हैं।

FMR Code No. 4.2.1

(a) Salary support for 231 ANMs shifted from Urban RCH:- अरबन आर0सी0एच0 के अन्तर्गत पूर्व से अरबन हेल्थ पोस्ट में संविदा पर तैनात 231 एन0एन0एम0 हेतु रु0 10,890/– प्रति माह प्रति ए0एन0एम0 हेतु कुल 12 माह के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(b) Salary support for ANMs approved in FY 2013-14:- आर0ओ0पी0 वर्ष 2013–14 के अनुसार कुल 2254 एन0एन0एम0 की संविदा पर तैनाती हेतु धनराशि एवं दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। पुनः इन ए0एन0एम0 हेतु रु0 9900/– प्रतिमाह प्रति ए0एन0एम0 की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

FMR Code No. 4.2.2

(a) Mobility support to ANM from Urban RCH:- अरबन आर0सी0एच0 के अन्तर्गत 231 अरबन हेल्थ पोस्ट पर संविदा पर तैनात ए0एन0एम0 के मोबिलिटी सपोर्ट मद में रु0 500/– प्रतिमाह प्रति एन0एन0एम0 की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(b) Mobility support for ANM approved in FY 2013-14:- वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार कुल 2254 ए0एन0एम0 की मोबिलिटी सपोर्ट हेतु रु0 500/– प्रतिमाह की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(c) Mobility support for 147 ANMs supported for State budget:- राज्य बजट से संचालित 147 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों जिनको नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, उन पर तैनात 01 नियमित ए0एन0एम0 की मोबिलिटी सपोर्ट हेतु रु0 500/– प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।

FMR Code No. 4.4- Urban CHC:- इस मद के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में संचालित 8 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृहों के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

FMR Code No. 4.4.2- Human Resource:-

FMR Code No. 4.4.2.1-Specialists:- 8 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृहों हेतु निम्नलिखित संविदा विशेषज्ञों की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

(a) प्रत्येक बी0एम0सी0 पर पूर्व से संविदा पर तैनात 01 गाइनेकोलॉजिस्ट के मानदेय हेतु रु0 65,000/– प्रतिमाह प्रति गाइनेकोलॉजिस्ट की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(b) पूर्व से संविदा पर तैनात कुल 04 पीडियाट्रीशियन के मानदेय हेतु रु0 65,000/– प्रतिमाह प्रति पीडियाट्रीशियन की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(c) प्रत्येक बी0एम0सी0 पर सिजेरियन ऑपरेशन हेतु एनेस्थिसिया कॉल के लिए रु0 2,000/– प्रति कॉल कुल 100 कॉल प्रति बी0एम0सी0 की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। सिजेरियन ऑपरेशन हेतु एनेस्थेसिया कॉल का भुगतान वास्तविक केसो की संख्या के आधार पर किया जाय तथा प्रत्येक सिजेरियन का बी0एम0सी0 में पूर्ण विवरण रक्षित किया जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय उपलब्ध कराया जा सके। यह व्यवस्था पूर्णकालिक संविदा एनेस्थेटिस्ट के चयन होने तक ही लागू होगी।

(d) वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 के अनुसार प्रत्येक बी0एम0सी0 पर 01 रेडियोलॉजिस्ट, 01 फिजीशियन (स्पेशलिस्ट) तथा 01 एनेस्थेटिस्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा इनके मानदेय हेतु 03 माह के लिए धनराशि एवं दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके है। पुनः इनके (प्रत्येक बी0एम0सी0 पर 01 रेडियोलॉजिस्ट, 01 फिजीशियन (स्पेशलिस्ट) तथा 01 एनेस्थेटिस्ट) मानदेय हेतु रू0 60,000/– प्रति माह प्रति विशेषज्ञ की दर से कुल 06 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(e) 04 नये पीडियाट्रीशियन की संविदा पर तैनाती हेतु रु0 60,000/– प्रतिमाह प्रति पीडियाट्रीशियन की दर से कुल 6 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(f) प्रत्येक बी0एम0सी0 पर पूर्व से संविदा पर तैनात 01 स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु रु0 18150/– प्रतिमाह प्रति स्टाफ नर्स की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रत्येक बी0एम0सी0 पर पूर्व से संविदा पर तैनात 01 डेटा असिस्टेंट के मानदेय हेतु रु0 12000/- प्रतिमाह प्रति डेटा असिस्टेन्ट की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रत्येक बी0एम0सी0 पर पूर्व से संविदा पर तैनात 02 वार्ड आया के मानदेय हेतु रु0 5000/- प्रतिमाह प्रति वार्ड आया की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रत्येक बी0एम0सी0 पर पूर्व से संविदा पर तैनात 02 स्वीपर के मानदेय हेतु रु0 5000/- प्रतिमाह प्रति स्वीपर की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

इनके चयन, कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व हेतु दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

उपरोक्त के क्रम में प्रदेश में 478 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील किये जाने हैं, जिनमें जनपद स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित हैः-

1. राज्य बजट एवं अरबन आर0सी0एच0 के अन्तर्गत संचालित अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किये जाने हेतु स्लम एवं स्लम बस्ती के नजदीक किराये के भवनों का चिन्हीकरण कर लें। भवनों को किराये पर लेकर अनुबन्ध कर अनुबन्ध पत्र की प्रति परिवार कल्याण महानिदेशालय में उपलब्ध करायें।
2. पूर्व से स्वीकृत रिक्त संविदा पदों को नियमानुसार शीघ्र भर्ती कर लें। संविदा कर्मियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हुए कार्य संपादित करायें।
3. प्रत्येक संविदा कर्मी का राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का एक दिन का प्रशिक्षण अवश्य करायें। एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत कार्य करने वाले ए0एन0एम0 का 02 दिवसीय टीकाकरण पर प्रशिक्षण उपलब्ध माड्यूल पर कराने के उपरान्त ही क्षेत्र में ए0एन0एम0 को टीकाकरण करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें।
4. प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरण एवं फर्नीचर नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध करायें।
5. प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल उपलब्ध करायें। मरीजों को 5 दिन की निःशुल्क समस्त दवाएं उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की दवाई बाजार से न लिखें न मगायें।
6. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, जिससे कि जनता विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके।
7. जिन इकाइयों पर संविदा कर्मियों का चयन नहीं हो पाया है, उन इकाइयों पर नियमित सेवा के कर्मियों को तैनात कर समस्त इकाइयों को अतिशीघ्र क्रियाशील करायें।
8. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई0ट्रान्सफर द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
9. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
10. एन.यू.एच.एम. कार्यक्रम में संविदा पर तैनात समस्त मानव संसाधन की अप्रेजल रिपोर्ट प्रत्येक माह की भौतिक/वित्तीय रिपोर्ट के साथ परिवार कल्याण महानिदेशालय में प्रेषित किया जाय। मानव संसाधन के कार्यों की गुणवत्ता नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम. द्वारा प्रत्येक माह सुनिश्चित की जायेगी जिसके आधार पर ही संविदा मानव संसाधन का भुगतान किया जाये।

संविदा कर्मियों के तैनाती के सामान्य नियम

- सभी चयन/पुनर्अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किये जायेंगे यदि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विलम्ब हो रहा है तो अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये तथा इसका कार्योत्तर अनुमोदन प्रात कर लिया जाये।
- संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये ही होगी।
- किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्थान विशेष पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो उस स्थान पर संविदा समाप्त करने के उपरान्त किसी अन्य स्थान पर सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही नियमानुसार नवीन तैनाती की जा सकेगी।
- यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाय।
- संविदा कर्मी अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- संविदा कर्मी कालावधि के लिए किन्हीं पेशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें। इन्हें ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
- नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा चिकित्सक/कर्मी नियमित चिकित्सकों/कर्मियों की भांति ही सप्ताह में 6 दिन अथवा नियत रोस्टर के अनुसार कार्यरत रहेंगें
- एन0आर0एच0एम0 द्वारा पूर्व में समय–समय पर जो भी मानव संसाधन हेतु अवकाश स्वीकृत किये गये है उसी के अनुरुप अवकाश देय होगें।
- जनपदो में तैनात किये जाने वाले संविदा चिकित्साधिकारी सहित अन्य संविदा कर्मचारियों को अनुबंध करते समय यह अवगत करा दिया जाये कि अपने कार्य के साथ–साथ जो भी अन्य कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अरबन नोडल अधिकारी द्वारा दिया जायेगा उसे भी करना होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग को समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार संविदा पर कर्मियों की तैनाती में आरक्षण का यथा संभव पालन किया जाना है।
- संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- सम्बन्धित संविदा कर्मी का वेतन दिये जाने से पहले उसके सम्बन्ध में निर्धारित प्रारुप–1 पर सूचना भर कर एस0पी0एम0यू0/परिवार कल्याण महानिदेशालय के अरबन आर0सी0एच0 अनुभाग में प्रेषित की जानी है।

क्रम संख्या	पदनाम	संविदा कर्मी का नाम एवं पता	संविदा कर्मी का मोबाइल नं0	पिता/पति का नाम	तैनाती का स्थान	तैनाती की तथि	फोटो

नोटः– प्रत्येक स्तर के कर्मी के नाम के सम्मुख फोटो भी प्रदर्शित की जायेगी।

समस्त संविदा कर्मियों के लिए टी0ओ0आर0 एवं बेंचमार्क चिन्हित किये गये हैं जो संलग्न है। प्रत्येक संविदाकर्मी के भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने चिन्हित बैंचमार्क की प्राप्ति सुनिश्चित करें तभी उसके मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

Detail of U-PHCs to be established under NUHM 2014-15

S. No.	District	S.No.	Name	Total Urban Population	State Govt Health Facilities (C &D type UHPs and UFWCs)			UHPs Budgeted under NRHM			Total Health facilities taken under NUHM as UPHCs	New UPHCs approved in year 2013-14	Total UPHCs will be established in Year 2014-15
					Health Facilities running in Govt building	Health Facility to be established in rented building	Total Urban Health facility	UHPs running in Govt.Building	UHPs running in rented building	Total NRHM budgeted UHPs			
1	Agra	1	Agra	1585704	7	8	15	0	9	9	24	6	**30**
2	Aligarh	2	Aligarh	874408	2	5	7	0	7	7	14	3	**17**
		3	Atrauli	50412	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Allahabad	4	Allahabad	1168385	4	7	11	0	7	7	18	4	**22**
4	Bareilly	5	Bareilly	904797	1	1	2	0	5	5	7	4	**11**
		6	Faridpur	78249	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		7	Baheri	68413	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		8	Aonla	55629	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Bijnor	9	Nagina	95246	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		10	Bijnor	93297	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
		11	Najibabad	88535	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		12	Chandpur	83441	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		13	Sherkot	62226	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		14	Kiratpur	61946	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		15	Seohara	53296	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		16	Dhampur	50997	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Budaun	17	Budaun	159285	0	0	0	0	3	3	3	0	**3**
		18	Sahaswan	66204	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		19	Ujhani	62039	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Bulandshahar	20	Bulandshahr	230024	0	0	0	0	4	4	4	0	**4**
		21	Khurja	121207	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		22	Sikandrabad	81028	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		23	Jahangirabad	59858	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		24	Gulaothi	50823	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8	Etawah	25	Etawah	256838	0	0	0	0	6	6	6	0	**6**
9	Farrukhabad	26	Farrukhabad	276581	0	0	0	0	2	2	2	1	**3**
10	Firozabad	27	Firozabad	604214	2	0	2	0	4	4	6	2	**8**
		28	Shikohabad	107404	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		29	Tundla	50423	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11	GB Nagar	30	Noida	637272	0	0	0	0	1	1	1	5	**6**
		31	Greater Noida	102054	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		32	Dadri	91189	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
12	Ghaziabad	33	Ghaziabad	1648643	0	9	9	0	10	10	19	6	**25**

Detail of U-PHCs to be established under NUHM 2014-15

S. No.	District	S.No.	Name	Total Urban Population	State Govt Health Facilities (C &D type UHPs and UFWCs)			UHPs Budgeted under NRHM			Total Health facilities taken under NUHM as UPHCs	New UPHCs approved in year 2013-14	Total UPHCs will be established in Year 2014-15
					Health Facilities running in Govt building	Health Facility to be established in rented building	Total Urban Health facility	UHPs running in Govt.Building	UHPs running in rented building	Total NRHM budgeted UHPs			
		34	Loni	516082	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		35	Khora	190005	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		36	Modinagar	130325	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		37	Muradnagar	95208	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	Gorakhpur	38	Gorakhpur	673446	0	15	15	0	8	8	23	0	**23**
14	Hapur	39	Hapur	262983	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		40	Pilkhuwa	83736	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15	Hardoi	41	Hardoi	197029	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
		42	Shahabad	80226	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		43	Sandila	58346	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
16	Jalaun	44	Orai	190575	0	0	0	0	2	2	2	1	**3**
		45	Jalaun	56909	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		46	Konch	53412	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		47	Kalpi	51670	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17	Jhansi	48	Jhansi	505693	1	8	9	0	3	3	12	0	**12**
		49	Mauranipur	61449	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
18	J.P Nagar	50	Amroha	198471	0	0	0	0	3	3	3	1	**4**
		51	Hasanpur	61243	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		52	Gajraula	55048	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19	Kannauj	53	Kannauj	84862	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
		54	Chhibramau	60986	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
20	Kanpur Nagar	55	Kanpur	2768057	4	7	11	4	9	13	24	15	**39**
21	Kheri	56	Lakhimpur	151993	0	0	0	0	2	2	2	1	**3**
		57	Gola Gokaran Nath	60172	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
22	Lucknow	58	Lucknow	2817105	8	3	11	6	20	26	37	12	**49**
23	Mathura	59	Mathura	349909	0	0	0	0	4	4	4	1	**5**
		60	Vrindavan	63005	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		61	Kosi Kalan	60074	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	Mau	62	Maunath Bhanjan	278745	0	0	0	0	2	2	2	1	**3**
25	Meerut	63	Meerut	1305429	5	3	8	0	11	11	19	5	**24**
		64	Mawana	81443	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		65	Sardhana	58252	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
26	Moradabad	66	Moradabad	887871	1	12	13	0	13	13	26	0	**26**
27	Muzaffarnagar	67	Muzaffarnagar	392768	0	0	0	0	2	2	2	1	**3**
		68	Khatauli	72949	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		69	Budhana	53722	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Detail of U-PHCs to be established under NUHM 2014-15

S. No.	District	S.No.	Name	Total Urban Population	State Govt Health Facilities (C &D type UHPs and UFWCs)			UHPs Budgeted under NRHM			Total Health facilities taken under NUHM as UPHCs	New UPHCs approved in year 2013-14	Total UPHCs will be established in Year 2014-15
					Health Facilities running in Govt building	Health Facility to be established in rented building	Total Urban Health facility	UHPs running in Govt.Building	UHPs running in rented building	Total NRHM budgeted UHPs			
28	Rae Bareli	70	Rae Bareli	191316	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
29	Rampur	71	Rampur	325313	0	3	3	0	1	1	4	1	**5**
30	Saharanpur	72	Saharanpur	705478	5	4	9	0	8	8	17	0	**17**
		73	Deoband	97037	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		74	Gangoh	59279	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31	Shahjahanpur	75	Shahjahanpur	329736	0	7	7	0	3	3	10	0	**10**
		76	Tilhar	61444	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32	Sitapur	77	Sitapur	177234	0	0	0	0	1	1	1	2	**3**
		78	Laharpur	61990	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		79	Biswan	55780	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		80	Mahmudabad	50777	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
33	Unnao	81	Unnao	177658	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
		82	Gangaghat	84072	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
34	Varanasi	83	Varanasi	1198491	6	9	15	0	9	9	24	0	**24**
35	Ambedkarnagar	84	Ambedkarnagar	111447	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
		85	Ambedkarnagar Tanda	95516	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
36	Amethi	86	Amethi	13849	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
37	Auraiya	87	Auraiya	87736	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
38	Azamgarh	88	Azamgarh	110983	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
		89	Azam Mubarakpur	70463	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
39	Baghpat	90	Baghpat Baraut	103764	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
		91	Baghpat	50310	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
40	Bahraich	92	Bahraich	186223	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
41	Ballia	93	Ballia	104424	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
42	Balrampur	94	Balrampur	82488	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
43	Banda	95	Banda	160473	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
44	Barabanki	96	Nawabganj	81486	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
45	Basti	97	Basti	114657	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
46	Chandauli	98	Mughalsarai	109650	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
47	Chitrakoot	99	Chitrakoot Dham (Karwi)	57402	0	0	0	1	0	1	1	0	**1**
48	Deoria	100	Deoria	129479	0	0	0	0	3	3	3	0	**3**
49	Etah	101	Etah	118517	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
50	Faizabad	102	Faizabad	165228	0	0	0	0	5	5	5	0	**5**
		103	Ayodhya	55890	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
51	Fatehpur	104	Fatehpur	193193	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**

Detail of U-PHCs to be established under NUHM 2014-15

S. No.	District	S.No.	Name	Total Urban Population	State Govt Health Facilities (C &D type UHPs and UFWCs)			UHPs Budgeted under NRHM			Total Health facilities taken under NUHM as UPHCs	New UPHCs approved in year 2013-14	Total UPHCs will be established in Year 2014-15
					Health Facilities running in Govt building	Health Facility to be established in rented building	Total Urban Health facility	UHPs running in Govt.Building	UHPs running in rented building	Total NRHM budgeted UHPs			
52	Ghazipur	105	Ghazipur	121020	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
53	Gonda	106	Gonda	114046	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
54	Hamirpur	107	Rath	100514	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
55	Hathras	108	Hathras	143020	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
56	Jaunpur	109	Jaunpur	180362	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
57	Kanpur Dehat	110	Akbarpur	20445	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
58	Kasganj	111	Kasganj	101277	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
59	Kaushambi	112	Manjhanpur	16457	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
60	Kushinagar	113	Padrauna	49723	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
61	Lalitpur	114	Lalitpur	133305	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
62	Maharajganj	115	Maharajganj	33930	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
63	Mahoba	116	Mahoba	95216	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
64	Mainpuri	117	Mainpuri	136557	0	0	0	1	2	3	3	0	**3**
65	Mirzapur	118	Mirzapur-cum-Vindhyachal	234871	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
66	Pilibhit	119	Pilibhit	127988	0	0	0	0	1	1	1	1	**2**
		120	Bisalpur	73551	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
67	Pratapgarh	121	Bela Pratapgarh	76133	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
68	Sambhal	122	Chandausi	114383	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		123	Sambhal	220813	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
69	Sant Kabir Nagar	124	Khalilabad	47847	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
70	Bhadohi (NPP)	125	Bhadohi	94620	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
71	Shamli	126	Shamli	107266	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
		127	Kairana	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
72	Shrawasti	128	Bhinga	23780	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
73	Sidharthnagar	129	Siddharthnagar	25422	0	0	0	0	1	1	1	0	**1**
74	Sonabhadra	130	Sonbhadra	36689	0	0	0	1	0	1	1	0	**1**
75	Sultanpur	131	Sultanpur	107640	0	0	0	0	2	2	2	0	**2**
				31,453,923	**46**	**101**	**147**	**13**	**218**	**231**	**378**	**100**	**478**

TERMS OF REFERENCE FOR HUMAN RESOURCE AT U-PHC

1. Full Time Medical Officers

Medical Officer will be placed at each U-PHC and will work under supervision of ACMO/ Nodal officer urban health

Term of references:

- Overall in charge of UPHC and the activities to be implemented under NUHM in respective area
- Responsible for Maintenance of U-PHC with respect to general management
- Clinical services : OPD , Medical care, MCH , Immunization, Family Planning services, referral services , screening of high risk PW and referral
- Normal Delivery in case of emergency
- Post natal care and New born care
- Nutritional care to PW and Children
- National Disease Control Programme (Communicable and non communicable diseases)
- Supervise the work of all officials placed at U-PHC
- Conduct outreach session if needed
- Monthly meeting at CMO office
- Field visit in case of any emergency, epidemics etc.
- Monthly Reporting about all feedback and report to ACMO/ Nodal Officer Urban Health

Eligibility:

- M.B.B.S degree
- Certified degree from recognized Institution by MCI
- Registration from Council of the State/GoI.

Mode of selection: By District Health Society

2. Part Time Medical Officers

- Part Time Medical Officer will be placed at each U-PHC and will work under supervision of ACMO/ Nodal officer urban health
- Term of references:
- Support to MoIC of UPHC and the activities to be implemented under NUHM in respective area
- Responsible for Maintenances of U-PHC with respect to general management.
- Clinical services: OPD, Medical care, MCH, Immunization, Family Planning services, referral services, screening of high risk Pregnancies and referral.
- Normal Delivery in case of emergency.
- Specialized services or availability of part time specialist doctors.
- Post natal care and New born care.
- Nutritional care to Pregnancies and Children.
- National Disease Control Programme (Communicable and non communicable diseases)
- Supervise the work of all staff placed at U-PHC
- Conduct outreach session if needed.
- Monthly meeting at CMO Office.

- Field visit in case of any emergency, epidemics etc.
- Monthly Reporting about all feedback and report to MOIC-UPHC/Urban Nodal Officer/CMO

Eligibility:

- M.B.B.S. degree/Specialist degree (MD, MS diploma)
- Certified degree from recognized Institution by MCI
- Registration from Council of the State/GoI.

Mode of selection: By District Health Society

3. **Staff Nurses:**

Staff Nurses will be hired for each U-PHC.

Term of references:

They will support to Medical Officer in all services of PHC. Work will be distributed by Medical officer according to guideline by State

Eligibility:

- Certified diploma in Nursing by any recognized Institute approved by Nursing Council of the State /GoI
- Registration from State Nursing Council.

Mode of selection: By District Health Society

4. **Pharmacist**

Term of references:

Pharmacist will support to Medical Officer in all services of PHC. Work will distributed by Medical officer according to guideline by State

Eligibility:

- Certified diploma in Pharmacy by any recognized Institute approved by Pharmacy Council of the State /GoI
- Registration from State Pharmacy Council.

Mode of selection: By District Health Society

5. **Lab Technician**

Term of references:

Essential laboratory services

Eligibility:

- Certified diploma in Laboratory Services by any recognized Institute approved by the State /GoI
- Registration from State Laboratory Technician Council

Mode of selection: By District Health Society

6. **ANMs**

Term of references:

They will support to Medical Officer in all services of PHC. Work will distributed by Medical officer according to guideline by State

Eligibility:

- Certified diploma in Nursing/Midwife by any recognized Institute approved by Nursing/Midwife Council of the State /GoI

Mode of selection: By District Health Society

7. **Support Staff**

Three support staff will be placed at each PHC; 1 Aya (Female), 1 Ward Boy (Male) and 1 Sweeper cum Chaukidar

Term of references:

- Ward Aya will be responsible to provide the support the patient and service provider as well as cleanliness of medical instruments
- Ward Boy will be responsible to provide the support the patient and service provider as well as cleanliness of medical instruments
- Sweeper cum Chaukidar will be responsible to maintain the UPHC neat and clean as well as to provide security 24*7

Eligibility:

- Recruitment by State/GoI rules.
- Will be healthy and fit for the job

Mode of selection: By District Health Society

TERMS OF REFERENCE FOR HUMAN RESOURCE AT U-CHC

Gynaecologist:

01 Gynaecologist for each Bal Mahila Chiktsalaya & Prasuti Grah(BMC)

OPD services: Prenatal, natal and postnatal cases, other gynae cases and referral services

Indoor services: Normal delivery, assisted delivery and C-section, post natal care

Eligibility: M.B.B.S. and MD/MS or Diploma (DGO) in Gynecology and Obstetrics certified by MCI and registration from Medical council of State /GoI

Mode of selection: by District Health Society

Paediatrician:

01 Paediatrician for each Bal Mahila Chiktsalaya & Prasuti Grah(BMC)

OPD services: New born, infant and children cases

Indoor services: New born care at the time of normal delivery, assisted delivery and C-section, after delivery

Eligibility: M.B.B.S. and MD or Diploma (DPH) in Pediatrics certified by MCI and registration from Medical council of State /GoI

Mode of selection: by District Health Society

Anaesthetist:

01 Anaesthetist for each Bal Mahila Chiktsalaya &Prasuti Grah(BMC)

Preoperative Assessment of all cases for operative cases

Local/spinal/general anesthesia

Post operative care

Eligibility: M.B.B.S. and MD or Diploma (DA) in Anesthesia, certified by MCI and registration from Medical council of State /GoI

Mode of selection: by District Health Society

Physician:

01Physician for each BAL Mahila Chiktsalaya & Prasuti Grah (BMC)

OPD services: General OPD, screening of Communicable and non communicable disease.

Indoor services: Hospitalization of cases and their management

Eligibility: M.B.B.S. and MD/Diploma in Medicine/TB Chest/ Skin certified by MCI and registration from Medical council of State /GoI

Mode of selection: by District Health Society

Radiologist:

01 Radiologist for each Bal Mahila Chiktsalaya & Prasuti Grah(BMC)

OPD services: Screening/reporting of all referred cases of ANC and other patients

Eligibility: M.B.B.S. and MD / Diploma in Radio diagnosis , certified by MCI and registration from Medical council of State /GoI

Mode of selection: by District Health Society

Staff Nurses:

01 Staff Nurse for each Bal Mahila Chiktsalaya & Prasuti Grah (BMC)

They will support to CMS in all services of BMC. They will work in coordination with regular staff according to roster.

Eligibility:

- Certified diploma in Nursing by any recognized Institute approved by Nursing Council of the State /GoI
- Registration from State Nursing Council.

Mode of selection: By District Health Society

Data Assistant:

Graduation with one year diploma or certificate in computer application with experience of min. 3 years.

01 Data Assistant for each Bal Mahila Chiktsalaya & Prasuti Grah (BMC)

Responsible for data entry of all required information and generating monthly report.

Eligibility:

Mode of selection: By District Health Society

Support Staff

02 Ward Aya and 02 Sweeper for each Bal Mahila Chiktsalaya & Prasuti Grah (BMC)

Term of references:

- Ward Aya will be responsible to provide the support the patient and service provider as well as cleanliness of medical instruments
- Sweeper will be responsible to maintain the UPHC neat and clean as well

Eligibility:

- Recruitment by State/GoI rules.
- Will be healthy and fit for the job

Mode of selection: By District Health Society

(Ramvijay Singh) Prog. Asstt.

(P.K. Srivastava) GM

(Dr. A.K. Srivastava) JD-Urban

(GM NUHM)

DGM (NUHM)